न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 83 / 2024

प्रार्थीगण :—

1. जगदीशराम दतक पुत्र भूराराम जाति सीरवी निवासी बेरा शिव सागर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :—

2. केसाराम पुत्र स्व. गोविन्दराम
3. सुआदेवी पत्नी स्व. गोविन्दराम जातियान सीरवी, निवासीगण बेरा शिव सागर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. लीलादेवी पुत्री स्व. गोविन्दराम पत्नी चम्पालाल जाति सीरवी निवासी बेरा रूपारेल ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. सुशीलादेवी पुत्री स्व. गोविन्दराम पत्नी मिश्रीलाल जाति सीरवी निवासी बेरा गुणसागर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा
6. प्रकाश पुत्र स्व. गोविन्दराम
7. राजेन्द्र पुत्र स्व. गोविन्दराम जातियान सीरवी निवासीगण बेरा शिव सागर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज. हाल निवास Prakash Jewellers & Pawn Broker, No 3 Sundaresan Mudaliar Complex, Arumbakkam Road, Tatteri, Taluka-Katpadi District-Vellore, Tamilnadu-632202
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर श्री मोहनलाल सीरवी एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 7 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक** 27/11/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि राजस्व ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में आई हुई है जिसके खसरा संख्या 1340 रकबा 1.4400 हैक्टेयर किस्म बारानी ए है। प्रार्थी की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 1340 के उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि आई हुई है जिसके खसरा संख्या 1340 / 1 रकबा 0.7847 हैक्टेयर किस्म बारानी ए है जो भी राजस्व ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी सीमा व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 1340 / 1 की दक्षिणी सीमा आपस में मौके पर

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

चिपती हुई है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी सीमा की माठ को मौके पर कायम व स्थिर कर रखी थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी सीमा की माठ को मौके पर दिनांक 15.05.2024 को जबरन खुर्द बुर्द कर अस्थिर कर दी, जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा मना करने पर भी अप्रार्थी संख्या 1 नहीं माना। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी सीमा की माठ को मौके पर दिनांक 15.05.2024 को जबरन खुर्द बुर्द कर अस्थिर करने पर प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी सीमा की माठ को स्थिर करने हेतु खसरा संख्या 1340 के सीमांकन हेतु अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष आवेदन किया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा हल्का पटवारी ग्राम खारिया मीठापुर को खसरा संख्या 1340 के सीमांकन हेतु आदेश क्रमांक/भू.अ./सीमांकन/2024/1011 दिनांक 20.05.2024 द्वारा आदेशित किया व उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.06.2024 को खसरा संख्या 1340 का मौके पर आकर सीमांकन किया तथा सीमांकन बाबत् फर्द मौका मुर्तीब की तथा उक्त सीमांकन हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी व मौतबिरान नारायणलाल पुत्र पुखाराम सीरवी निवासी ग्राम खारिया मीठापुर, शेषाराम पुत्र उरजाराम सीरवी निवासी ग्राम खारिया मीठापुर, डांवरराम पुत्र दलाराम सीरवी, निवासी ग्राम खारिया मीठापुर की मौजूदगी में किया तथा सीमांकन की सूचना अप्रार्थीगण को भी हल्का पटवारी द्वारा दी गयी परन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना सीमांकन के समय उपस्थित नही हुए। हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन बाबत् मुर्तीब की गयी फर्द मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी व मौतबिरान के हस्ताक्षर भी करवाये। हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 के सम्बंध में किये गये सीमांकन के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी माठ की सीमा को स्थिर करने व उस पर तारबन्दी/पत्थरगढी करने हेतु दिनांक 10.06.2024 को मौके पर गया तो मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 भी आ गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 की उत्तरी माठ की सीमा को हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमांकन के अनुसार न तो स्थिर करने दिया व न ही तारबन्दी/पत्थरगढी करने दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी माठ की सीमा को हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमांकन के अनुसार स्थिर करने व तारबन्दी/पत्थरगढी करने पर जान से मारने की धमकिया भी दी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की धमकी से भयभीत हो गया तथा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी माठ की सीमा को हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमांकन के अनुसार न तो स्थिर की व न ही उस पर तारबन्दी/पत्थरगढी की। जबकि कानूनन प्रार्थी को अपनी खातेदारी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी माठ की सीमा को हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमांकन के अनुसार स्थिर करने व उस पर तारबन्दी/पत्थरगढी करने का अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी माठ की सीमा को हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमांकन के अनुसार स्थिर करने नहीं देने व उस पर तारबन्दी/पत्थरगढी नही करने देने के कारण प्रार्थी को मजबूरन माननीय न्यायालय के समक्ष खसरा संख्या 1340 की उतरी माठ की सीमा जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 15.05.2024 को अस्थिर कर खुर्द बुर्द कर दिया, को पुनः हल्का पटवारी द्वारा किये गये सीमांकन के अनुसार स्थिर करने व उस पर प्रार्थी के खर्चे से तारबन्दी/पत्थरगढी करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 से 6 को खसरा संख्या 1340/1 के सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया है परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 से 6 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी दिशा की माठ को न तो अस्थिर किया है व न ही खुर्द बुर्द किया है। अप्रार्थी संख्या 2 से 6 प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी दिशा की माठ को हल्का पटवारी द्वारा किये गये सीमांकन के अनुसार स्थिर करने व उस पर प्रार्थी द्वारा तारबन्दी/पत्थरगढी करने में सहमत है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 राजस्व ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित होने से तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

अन्त में निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 7 को आदेश दिया जावे कि वो प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 रकबा 1.4400 हैक्टेयर किस्म बारानी ए का मौके पर उक्त खसरे के राजस्व नक्शे के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमांकन कर प्रार्थी के खर्चे से उक्त खसरे की उतरी दिशा की सीमा को स्थिर (निर्धारित) कर पत्थरगढी करावे। इस हेतु अप्रार्थी संख्या 7 को आदेश मय तहरीर जारी की जावे। उक्त खसरे के सीमाकन एवं पत्थरगढी के दौरान मौके पर अशांति पैदा होने पर अप्रार्थी संख्या 7 पुलिस इमदाद के जरिये उक्त आदेश की पालना करावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं.1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल सीरवी अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारिया मीठापुर की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 1340 रकबा 1. 4400 हैक्टर किस्ब बारानी ए है जो प्रार्थी व अप्रार्थी के पडौस में स्थित होने से सही व स्वीकार है। प्रार्थी की खातेदारी व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कब्जा कास्त भूमि खसरा नंबर 1340 के उतर मे अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की भूमि खसरा नंबर 1327 व खसरा नंबर 1340/1 रकबा 0.7848 हैक्टर भूमि कि बारानी स्थित है। कालान्तर में प्रार्थी जगदीश दतक पुत्र श्री भूराराम व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के पिता व पति गोविन्द राम से वर्ष 2004 मे खसरा नम्बर 1327 व 1340 का बराबर रकबा मिलान कर एक्स चौन्ज की। क्योकि उस समय जगदीश के पिता भूराराम को खसरा नंबर 1327 के रास्ते के लिये भूमि की आवश्यक थी। इस कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता ने खसरा नंबर 1327 व 1340 में भूमि की अदला बदली की 2004 में की थी। तब से लेकर आज दिन तक कोइ प्रकार का विवाद नहीं है। व ना ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को परेशान नहीं किया जा रहा है। जबकि प्रार्थी उक्त खसरा नंबर 1340 की माठ को खुर्द बुर्द करने को आमादा है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा कास्त सूदा भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी सीमा व इसके चिपते अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1340/1 की दक्षिणी सीमा व 1340 की उतरी सीमा आपस में अदला बदली के समय से ही मात कायम कर रखी थी। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर उक्त माठ को खुर्द बुर्द कर दिया। क्योंकि प्रार्थी मौके पर निवास करता है। जबकि अप्रार्थी गावं में रहते है जो कभी कभार वहा जाते है। प्रार्थी द्वारा खुर्द बुर्द करने की बात कतई स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1340 की उतरी सीमा की माठ को कभी खुर्द बुर्द नहीं किया मौके पर आज भी माठ अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से आज भी पूर्व स्थिती में कायम है। जबकि प्रार्थी उतरी सीमा की माठ को खुर्द बुर्द करने को आमादा है। उक्त भूमि के सीमांकन बाबत् तहसीदा बिलाड़ा के आदेश कमांक/भू/सीमाकंन/2024/1011 दिनांक 20.05.2024 की पालना में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की सूचना व नोटिस नहीं दिया। जबकि प्रार्थी ने अपने आमदियों को मौके पर बुलाकर व पटवारी से साठ गाठ कर बिना अप्रार्थी के उपस्थिती में पटवारी द्वारा फर्द सीमांकन मौको रिपोर्ट तैयार की गई। जो कतई स्वीकार नहीं है। सिर्फ प्रार्थी ने अपना हित साधने के लिये उक्त रिपोर्ट राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभंगत कर तैयार करवाई है जो कतई स्वीकार नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच किसी प्रकार का मौके पर ना तो पूर्व में विवाद हुआ व ना ही वर्तमान में किसी प्रकार का विवाद है। सिर्फ प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 1340 की उतरी माठ को अप्रार्थीगण के कब्जे कास्ते में कब्जा करने की नियत के कारण कपोल कलपित विवाद बता रहा है। जबकि मौके पर पहले से ही पुरानी तारबंदी कायम है। इस बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 केसाराम ने प्रार्थी को किसी प्रकार की एलानिया धमकी नहीं दी। उलटे अप्रार्थीगण को प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि मैं राजस्व कर्मचारीयों को मौके पर लाकर मेरी माठ को तेरी खातेदारी जमीन में कायम कर दूगा। और राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर उक्त माठ की तारबंदी व पत्थरगढी आगे करवा दूगां। जबकि दिनांक 15.05.2024 को प्रार्थी ने खुद माठ को खुर्द बुर्द किया। प्रार्थी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

व अप्रार्थी संख्या 1 के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इसके बावजूद प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से 6 को जो कि खसरा संख्या 1340/1 के सहखातेदार होने व अप्रार्थी संख्या 1 के माता व बहेने होने के कारण पक्षकार बनाया है। जो यहा निवास ही नहीं करते है। प्रार्थी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1340 व अप्रार्थीगण की भूमि 1340/1 की खारिया मीठापुर की राजस्व सीमा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत सीमांकन व पत्थरगढी प्रार्थी अपने खर्चे हर्जे से करवाता है तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की आपति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कपोल कल्पित होने से खारिज योग्य है। एवं प्रार्थी मौके पर अपने खर्चे हर्जे से सीमांकन व पत्थरगढी करवाता है तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की आपति नहीं है। ना ही मौके पर किसी प्रकार वा विवाद उत्पन्न हुआ इस कारण मौके पर अशांति पैदा होने कि स्थिती नहीं है। अन्य उचित आदेश अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के हक में माननीय न्यायालय द्वारा दियाजाता है तो किसी प्रकार की आपति नहीं है। अन्य उजर व एतराज वक्त बहस पेश किया जायेगें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के हक हिस्से की माठ को कायम रखते हुये सीमांकन व पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या 7 सरकारी पैरोकार ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1340 रकबा 1.4400 हैक्टयर ग्राम खारिया मीठापुर में आई हुई है। प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1340 के उतर दिशा में अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी खसरा नंबर 1340/1 रकबा 0.7847 हैक्टयर आई हुई है। दोनों खसरो की दक्षिणी सीमा आपस में चिपती हुई है। दोनों पक्षों में उतरी माठ को लेकर विवाद होने पर सीमांकन हेतु आदेश दिनांक 20.05.2024 को करवाया था जिसकी पालना में सीमाज्ञान दिनांक 03.06.24 को किया जाकर सीमांकन फर्द तहसील कार्यालय में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनों पक्षों द्वारा यह जाहिर किया गया है कि माठ को लेकर विवाद बढे नहीं तथा शांति बनी रहे। इस हेतु पत्थर गढी करवाया जाना आवशयक है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खारियामीठापुर के खसरा नंबर 1340 रकबा 1.4400 हैक्टयर का राजस्व नक्शे अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी करवाया जाना उचित है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अप्रार्थी सं. 1 से 6 अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी सं. 1 से 6 अधिवक्ता द्वारा बताया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से किसी प्रकार का परेशान नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा सं. 1340 व अप्रार्थीगण की भूमि 1340/1 की खारिया मीठापुर की राजस्व सीमा में सीमाकंन व पत्थरगढी प्रार्थी अपने खर्चे हर्जे से करवाता है तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की आपति नहीं है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1340 रकबा 1.4400 हैक्टयर प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी की है। वादग्रस्त भूमि के उतरी दिशा की तरफ खसरा सं. 1340/1 अप्रार्थी सं. 1 से 6 की रेकर्डेड खातेदारी है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 6 के मध्य खसरा नंबर 1340 की उतरी दिशा की ओर उक्त खसरे से चिपते हुए खसरा नंबर 1340/1 को लेकर सीमा विवाद है। इस कारण मौके पर पूर्व सीमाकंन के अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नंबर 1340 रकबा 1.4400 हैक्टयर का दिनांक 03.06.2024 की सीमाकंन मौका फर्द के अनुसार केवल उतरी दिशा (खसरा सं. 1340/1 की चिपती माठ) की अस्थिर माठ को स्थिर कर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाडा सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी किये जाने के समय आवश्यकता अनुसार पुलिस ईमदाद की व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिलाडा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिलाडा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा